भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4117
25 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग में रोजगार

4117. श्री रमाशंकर राजभर :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा इस्पात उद्योग में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ख) सरकार द्वारा इस्पात उत्पादन में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या योजनाएं प्रस्तावित हैं ; और

(घ) इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सरकारी नौकरियों के अवसरों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (ग): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास हेतु अनुकूल नीतिगत वातावरण सृजित कर एक सुविधाप्रदाता के रुप में कार्य करती है। सरकार ने इस्पात उत्पादन में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा इस्पात उत्पादन में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

i. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' स्टील को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआईएंडएसपी) नीति का कार्यान्वयन।
ii. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेशों को आकर्षित कर आयात को कम करने हेतु विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को शुरू करना।
iii. केंद्रीय बजट में अवसंरचना विस्तार पर जोर दिया गया है जिससे इस्पात की खपत में वृद्धि हुई है।
iv. घरेलू इस्पात उद्योग को आयात पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आयातों की प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप दिया गया।
v. अभिज्ञात महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अंतर्गत आरएंडडी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अनुसंधान एवं विकास योजना अर्थात "लौह एवं इस्पात क्षेत्र में आरएंडडी का संवर्धन" की शुरुआत की गई। आरएंडडी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, लौह एवं इस्पात क्षेत्र के सामने आने वाली ज्वलंत समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन (उत्सर्जन में कमी और ऊर्जा खपत में कमी), अपशिष्ट उपयोग, संसाधन दक्षता आदि का समाधान करने के लिए नई वैकल्पिक प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है।

जारी........2/

vi. इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीपीएसई ने इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया के अकार्बनीकरण में तेजी लाने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस), ब्लास्ट फर्नेस में कोक ओवन गैस का प्रयोग, ग्रीन हाइड्रोजन इंजेक्शन आदि के क्षेत्र में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(घ) इस्पात मंत्रालय में पदों को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और अन्य कैडर नियंत्रण प्राधिकरणों द्वारा भरा जाता है, मंत्रालय के नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अपनी एचआर नीतियां हैं।

*****